



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 9162

/अका./2012

रायपुर, दिनांक: 28 /12/2012

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 17.10.2012 के विषय क्रमांक 4 में बी.सी.ए. पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु योग्यता के निर्धारण के संबंध में लिये गए निर्णय – “महाविद्यालयों में बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. के लिए सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएँ के अनुसार किया जावे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएँ के अनुसार आवेदक नहीं मिलने पर ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित अर्हताएँ के अनुसार पूर्णरूप से अस्थायी तौर पर अंतरिम नियुक्ति किया जावे, जिससे अध्यापन कार्य सूचारु रूप से संपादित किया जा सके।” जिसे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.10.2012 में पूरक सूची में विषय क्रमांक 1 पर अनुमोदित किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार कम्प्यूटर में सहायक प्राध्यापकों के लिए योग्यता निम्न होनी चाहिए—

सहायक प्राध्यापक—

पी.जी. कम्प्यूटर साइंस 55% and NET/SLATE/Ph.D

AICTE ने इंजीनियरिंग कालेजों में व्याख्याता हेतु सत्र 2012-13 में निम्न अर्हतायें निर्धारित कर रखी है—

MCA Assistant Professor-

B.E./B.Tech and M.E./ M.Tech in relevant subject with first class or equivalent either in B.E./B.Tech or M.E./M.Tech.

OR

B.E./B.Tech and MCA with first class or equivalent in either BE/B Tech or MCA

OR

MCA with first class or equivalent with two years relevant experience.

It is hereby recommended that the qualification of Assist Professor for teaching BCA, PGDCA or DCA in affiliated colleges may be as below-

Assistant Professor Computer-

PG. Computer science with 55% and NET/SLATE/Ph.D.

OR

BE/B.Tech and M.E./M.Tech in relevant subject with first class or equivalent either in BE/B.Tech or ME/M.Tech

OR

MCA with first class or equivalent with two years relevant experience.

OR

B.E./B.Tech and MCA with first class or equivalent in either BE/B Tech or MCA

- नोट : 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं के अनुसार नियमित नियुक्ति की जाए।
2. ए.आई.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित अर्हताएं के अनुसार पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर नियुक्ति की जाए।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,



कुलसचिव




पृ. क्रमांक: 9163 / अका. / 2012

रायपुर, दिनांक: 28/12/2012

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, परिसर रायपुर
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



प्रभारी अधिकारी (अका.)

